राजस्व वाद संख्या : 106 / 2022
जीसीएनएस : 2022 / 206
ग्राम पंचायत घरडाना खुर्द बनाम सरकार आदि
निर्णय दिनांक— 04-07-2022

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी—

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

1. ग्राम पंचायत घरड़ाना खुर्द जरिये हाल सरपंच उम्मेद सिंह निवासी घरड़ाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं

.........आवेदक

बनाम

1. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान
2. नायब तहसीलदार सिंघाना उप तहसील सिंघाना जिला झुंझुनूं

.........अनावेदकगण

दावा रिकॉर्ड एवं नक्शा दुरूस्ती

—::निर्णय::—

दिनांक :— 04-07-2022

(1). आवेदक ने प्रार्थना—पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि:—

यह कि वाके ग्राम घरड़ाना खुर्द तहसील बुहाना स्थित ख.नं. 197 रकबा 13.42 है. में 12.26 है. गैर मुमकिन आबादी एवं ख.नं. 197 के 1.16 है. रकबा गैर मुमकिन जोहड को अलग—अलग पुनः नक्शा बनाया जाकर 12.26 है. गैर मुमकिन आबादी के अलग नम्बर एवं 1.16 है. गैर मुमकिन जोहड़ के अलग नम्बर दर्ज किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे एवं आबादी भूमि को ग्राम पंचायत घरड़ाना खुर्द के नाम दर्ज किया जावे।

(2). प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01, 02 की तामील असालतन प्राप्त हुई।

(3). आवेदक की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में ग्राम घरड़ाना खुर्द की खाता संख्या 1 की वर्तमान व संवत् 2012—14 की जमाबंदी, जमाबंदी [illegible] 16 खाता संख्या 3, 225 व 223, जमाबंदी संवत् 2026 [illegible] व 251 हाल जमाबंदी खाता संख्या 1 व नकल नक्शा शीट [illegible] संवत [illegible] से 16 नकल नक्शा शीट ख.नं. 303 एवं मिलान क्षेत्रफल पेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:29:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या : 105 / 2022
जीसीएमएस : 2022 / 205
ग्राम पंचायत घरडाना खुर्द बनाम सरकार आदि
निर्णय दिनांक— 04-07-2022

(4). प्रतिवादी संख्या 02 को विस्तृत मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् नायब तहसीलदार उप तहसील सिंघाना के पत्रांक 376 दिनांक 26.05.2022 में प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार सन् 1979–80 में पुरानी एवं वर्तमान नई नक्शा शीट को प्रत्यारोपित करने पर खसरा नम्बर परिशोधन के अनुसार ख.नं. 197 में किस्म गैर मुमकिन जोहड़ के 1.16 है. रकबा का संलग्न प्रस्तावित नक्शे के अनुसार नया खसरा नम्बर कायम किया जाना चाहिये। प्रार्थना–पत्र के अनुतोष को मौका जांच रिपोर्ट एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज सुसंगत साबित करते हैं। परिणामतः आवेदक चाहे गए अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थना–पत्र आवेदक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम घरड़ाना खुर्द तहसील बुहाना की हाल नक्शा शीट में ख. नं. 197 के कुल 13.42 है. रकबे में से किस्म गैर मुमकिन जोहड़ के 1.16 है. (ख.नं. 300 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ के 0.74 है.रकबा, ख.नं. 297 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ के 0.40 है.रकबा एवं ख. नं. 302 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ के 0.02 है. को मिलाते हुये) हिस्से को नायब तहसीलदार सिंघाना से प्राप्त जांच रिपोर्ट संलग्न नक्शे अनुसार नया खसरा नम्बर प्रदान करते हुये सीमांकन मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दुरूस्त किया जावे एवं शेष रहे किस्म गैर मुमकिन आबादी के 12.26 है. रकबा को जमाबंदी में ग्राम पंचायत घरड़ाना खुर्द के नाम अंकित किया जाकर स्पष्ट सीमाचिन्ह अंकित किये जावे। नायब तहसीलदार उप तहसील सिंघाना के पत्रांक 376 दिनांक 26.05.2022 की मौका जांच रिपोर्ट प्रदर्श– "अ" एव नक्शा किस्तवार सन् 1979–80 प्रदर्श– "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि नक्शा किस्तवार प्रदर्श – ब अनुसार तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:29:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 04-07-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

राजस्व वाद संख्या : 105/2022
जीसीएमएस : 2022/205
ग्राम पंचायत घरडाना खुर्द बनाम सरकार आदि
निर्णय दिनांक– 04-07-2022

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी –: सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 105/2022
निर्णय दिनांक : 04-07-2022

ग्राम पंचायत घरडाना खुर्द बनाम **सरकार आदि**

दावा – रिकार्ड दुरुस्ती एवं नक्शा दुरूस्ती

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से नायब तहसीलदार सिंधाना की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 04-07-22 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय प्रार्थना–पत्र आवेदक डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम घरड़ाना खुर्द तहसील बुहाना की हाल नक्शा शीट में ख. नं. 197 के कुल 13.42 है. रकबे में से किस्म गैर मुमकिन जोहड़ के 1.16 है. (ख.नं. 300 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ के 0.74 है.रकबा, ख.नं. 297 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ के 0.40 है.रकबा एवं ख.नं. 302 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ के 0.02 है. को मिलाते हुये) हिस्से को नायब तहसीलदार सिंघाना से प्राप्त जांच रिपोर्ट संलग्न नक्शे अनुसार नया खसरा नम्बर प्रदान करते हुये सीमांकन मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दुरूस्त किया जावे एवं शेष रहे किस्म गैर मुमकिन आबादी के 12.26 है. रकबा को जमाबंदी में ग्राम पंचायत घरड़ाना खुर्द के नाम अंकित किया जाकर स्पष्ट सीमाचिन्ह अंकित किये जावे। नायब तहसीलदार उप तहसील सिंघाना के पत्रांक 376 दिनांक 26.05.2022 की मौका जांच रिपोर्ट प्रदर्श– "अ" एव नक्शा किस्तवार सन् 1979–80 प्रदर्श– "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि नक्शा किस्तवार प्रदर्श – ब अनुसार तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 04-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन ... बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:29:04 IST
Reason: SelfAttested